

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 832  
दिनांक 24 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

.....

गंगा नदी के जल की गुणवत्ता की निगरानी

832. श्रीमति ज्योत्स्ना चरणदास महंत:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने पछले कुछ महत्वपूर्ण अवसरों के दौरान गंगा नदी के जल की गुणवत्ता की निरंतर निगरानी की है और यदि हाँ, तो निगरानी की आवृत्ति, व शष्ट स्थानों, परीक्षण के प्रमुख मापदंडों और तत्संबंधी निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या वगत एक वर्ष के दौरान स्वच्छता अवसंरचना, ठोस अप शष्ट निपटान और अप शष्ट जल प्रबंधन की समीक्षा के लिए कोई आयोजन-पश्चात मूल्यांकन किया गया है और यदि हाँ, तो उसके निष्कर्षों का सारांश और निर्धारित तथा आरंभ की गई सुधारात्मक कार्यवाहियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) गंगा नदी के लिए नमाम गंगे परियोजनाओं की कुल संख्या कतनी है और साथ ही स्वीकृत, पूर्ण, कार्यान्वयन के प्रक्रियाधीन और अनुमोदन के लिए लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या सरकार ने नदी प्रदूषण को कम करने के लिए पूर्ण हो चुकी नमाम गंगे परियोजनाओं की प्रभावशीलता पर कोई मूल्यांकन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी प्रमुख निष्कर्षों, पहचानी गई चुनौतियों और मापनीय परिणामों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) और (ख): केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा सूचित किया गया है कि उन्होंने महाकुंभ 2025 के दौरान 12 जनवरी, 2025 से 20 फरवरी 2025 तक श्रृंगवेरपुर घाट, लॉर्ड कर्जन ब्रिज, नागवासुकी मंदिर, संगम और डीहा घाट पर पाँच स्टेशनों पर (सप्ताह में दो बार) जल गुणवत्ता निगरानी की थी, जिसमें शुभ स्नान (अमृत स्नान) के दिन सहित शुभ स्नान के पहले और बाद के दिन शामिल थे। इसके अलावा, दिनांक 21.02.2025 से शास्त्री ब्रिज, सोमेश्वर घाट और दिल्ली पब्लिक स्कूल के अनुप्रवाह पर तीन और जल गुणवत्ता निगरानी स्थानों को शामिल किया गया है, जिससे गंगा नदी के जल गुणवत्ता के लिए निगरानी स्थानों की संख्या 5 से बढ़कर 8 हो गई है।

उपरोक्त निगरानी के आधार पर तैयार की गई व्यापक रिपोर्ट के अनुसार, सभी निगरानी स्थानों के लिए पीएच, घुलन ऑक्सीजन (डीओ), जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) और फीकल कोलीफॉर्म (एफसी) का औसत मूल्य प्राथमिक स्नान जल गुणवत्ता मानदंड के लिए संबंधित मानदंडों/अनुमेय सीमाओं के भीतर पाया गया।

प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने निम्नलिखित मुख्य विशेषताओं के साथ नवीनतम तकनीकों का पता लगाने और उन्हें अपनाने के लिए उद्योग परामर्श आयोजित करने के बाद महाकुंभ 2025 के लिए एक व्यापक स्वच्छता योजना तैयार की थी:

- i. जवाबदेही और प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए, शौचालय वक्रेताओं के साथ संवदा में सेवा स्तर मानदंड (एसएलबी) को शामिल किया गया, जिसमें मानव संसाधन की तैनाती, सेसपूल संचालन और जेट स्प्रे सफाई को शामिल किया गया था।
- ii. मेले के बाद के स्वच्छता उपायों में सभी शौचालयों को व्यवस्थित रूप से नष्ट करना और हटाना शामिल था। स्वच्छता दल द्वारा स्वच्छतापूर्वक निष्कासन सुनिश्चित किया गया और प्रभावी कीटाणुशोधन और अपशिष्टों के निष्प्रभावीकरण के लिए मैला थयान (5%) और स्लेक्ड लाइम का उपयोग किया गया।
- iii. मेले के क्षेत्र में अपशिष्ट जल (सेप्टेज को छोड़कर) एकत्र करने के लिए लगभग 250 किलोमीटर लंबी अस्थायी जल निकासी लाइनें बिछाई गईं। एकत्रित जल को समर्पित तालाबों में जैव-उपचार तकनीकों के माध्यम से उपचारित किया गया। इन अस्थायी लाइनों को कार्यक्रम के बाद हटा दिया गया और आगामी माघ मेले जैसे भविष्य के आयोजनों में पुनः उपयोग के लिए संग्रहित किया गया, और बाद में तालाबों को फिर से भर दिया गया।
- iv. सेप्टेज उपचार के लिए, मेला परिसर में विभिन्न स्थानों पर 500 कैपेसिटी क्षमता वाले तीन अस्थायी सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) स्थापित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, 50 कैपेसिटी क्षमता वाले दो फीकल स्लज उपचार संयंत्र (एफएसटीपी) और 100 कैपेसिटी क्षमता वाला एक एफएसटीपी भी उपयोग में लाया गया। इन सुविधाओं को कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हटा दिया गया।
- v. कार्यक्रम के बाद की समीक्षाओं से यह पुष्टि हुई कि स्वच्छता और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रणालियाँ प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं। इन निष्कर्षों के आधार पर, महाकुंभ 2025 के लिए सुधारात्मक कार्यवाई और योजनागत सुधार लागू किए जा रहे हैं, जिनमें उन्नत पुनः उपयोग रणनीतियाँ, बेहतर कीटाणुशोधन प्रोटोकॉल और स्वच्छता अवसंरचना का सुव्यवस्थित पुनर्नियोजन शामिल है।

(ग): नमाम गंगा कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के पुनरुद्धार के लिए कुल 502 परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 323 परियोजनाएँ पूर्ण हो चुकी हैं, 150 परियोजनाएँ वर्तमान में कार्यान्वयन के अधीन हैं, और 29 परियोजनाएँ निवृत्त चरण में हैं।

(घ): नमा म गंगे मशन (एनजीएम) के मूल्यांकन के लए भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज (एएससीआई) को तृतीय पक्ष एजेंसी (टीपीए) के रूप में नियुक्त किया गया था। एएससीआई ने अपनी रिपोर्ट में निम्न ल खत अवलोकन कए हैं:

- i. एनजीएम ने गंगा नदी बे सन में अप शष्ट जल उपचार के बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिसे रिवरफ्रंट और घाट विकास, नदी सतह सफाई प्रक्रियाओं, वनरोपण, जैव विविधता संरक्षण, जैविक कृषि आदि में निवेश के साथ संतुलित किया गया है।
- ii. पहलों को समर्थन देने के लए कार्यान्वयन एजेंसियों और अन्य हितधारकों की क्षमता निर्माण, साथ ही समुदाय की भागीदारी, परियोजनाओं के अन्य प्रमुख योगदानों में से एक है।
- iii. बे सन राज्यों और स्थानीय निकाय प्रतिष्ठानों के भीतर कार्यक्रम कार्यों का वकेन्द्रीकरण और उन्हें मुख्यधारा में लाना इस कार्यक्रम की विशेषता रही है।
- iv. एएससीआई ने अपने मूल्यांकन में कहा कि एनजीएम ने निरंतर प्रवाह (अवरल धारा) और प्रदूषण रहित प्रवाह (निर्मल धारा) के अपने अधदेश को प्राप्त करने में अच्छी प्रगति दिखाई है।
- v. इसने मशन मोड में बड़े पैमाने पर नदी पुनरुद्धार कार्यक्रम को लागू करने के लए सफल और अनुकरणीय मॉडल का प्रदर्शन किया है और वैश्विक मान्यता प्राप्त की है।

नमा म गंगे मशन के कार्यान्वयन में मुख्य चुनौतियाँ निम्न ल खत हैं:

- i. नए सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) की स्थापना के लए उपयुक्त भूमि की पहचान
- ii. सीवेज संबंधित नेटवर्क के लए मार्गाधिकार जैसी वैधानिक मंजूरी जारी करना, सड़क के निर्माण के लए अनुमति प्राप्त करना, वन और राजस्व विभागों जैसे संक्षम प्राधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करना;

इन चुनौतियों का समाधान करने और उनसे निपटने के लए, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मशन (एनएमसीजी) परियोजनाओं की स्थिति की निकटता से निगरानी में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। एनएमसीजी संक्षम प्राधिकारी की अध्यक्षता में प्रगति का मूल्यांकन करने, संभावित बाधाओं की पहचान करने और समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लए केंद्रीय निगरानी समिति (सीएमसी) के माध्यम से नियमित रूप से व्यापक समीक्षा बैठकें आयोजित करता है।

एनजीएम के कार्यान्वयन के मापनीय परिणाम भारत की नदियों के प्रदूषण मूल्यांकन पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की रिपोर्टों के माध्यम से प्रदान कए जाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022 में कए गए मूल्यांकन (वर्ष 2019 और 2021 के आंकड़ों का उपयोग करके) के आधार पर गंगा नदी पर मुख्य नदी खंड (पीआरएस) इस प्रकार हैं:

क. उत्तराखंड प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं आता (बीओडी < 3 मलीग्राम/लीटर);

- ख. उत्तर प्रदेश में, फर्रुखाबाद से इलाहाबाद और मर्ज़ापुर से गाज़ीपुर तक का वस्तार प्राथमिकता वर्ग V (बीओडी 3-6 मलीग्राम/लीटर) के अंतर्गत आता है;
- ग. बिहार में, बक्सर, पटना, फतवा और भागलपुर क्षेत्र प्राथमिकता वर्ग IV (बीओडी 6-10 मलीग्राम/ली) के अंतर्गत आते हैं;
- घ. झारखंड प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं आता (बीओडी < 3 मलीग्राम/लीटर);
- ङ. पश्चिम बंगाल में, बेहरामपुर से हल्दिया तक का क्षेत्र प्राथमिकता श्रेणी IV (बीओडी 6-10 मलीग्राम/लीटर) के अंतर्गत आता है।

इसके अलावा, घुलत ऑक्सीजन (डीओ) का मान, जो नदी की स्थिति का एक संकेतक है, अधिसूचित प्राथमिक स्नान जल गुणवत्ता मानदंडों की स्वीकृत सीमाओं के भीतर पाया गया है और यह गंगा नदी के लगभग पूरे हिस्से में नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को समर्थन देने के लिए संतोषजनक है।

वर्ष 2024-25 के दौरान गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे 50 स्थानों और यमुना नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे 26 स्थानों पर की गई जैव-निगरानी के अनुसार, जैविक जल गुणवत्ता (बीडब्ल्यूक्यू) मुख्य रूप से 'अच्छा' से 'मध्यम' श्रेणी में रही। वृद्ध बेन्थिक मैक्रो-इनवर्टेब्रेट प्रजातियों की उपस्थिति जलीय जीवन को बनाए रखने के लिए नदियों की पारिस्थितिक क्षमता को दर्शाती है।

इसके अलावा, गंगा नदी में डॉल्फिन की आबादी में पिछले एक दशक में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2009 में अनुमानित बेसलाइन 2,500-3,000 डॉल्फिन से, 2015 में यह संख्या लगभग 3,500 हो गई और वर्ष 2021-2023 के दौरान किए गए राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के अनुसार, यह संख्या लगभग 6,327 हो गई। यह वर्ष 2009 से दोगुने से भी अधिक की वृद्धि को दर्शाता है। गंगा बेसिन में, वर्ष 2021-2023 के आकलन में 17 सहायक नदियों में डॉल्फिन की उपस्थिति की पुष्टि हुई है, जहाँ पहले उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, जैसे रूपनारायण, गरवा, कौरियाला, बाबई, राप्ती, बागमती, महानंदा, केन, बेतवा और संध।

\*\*\*\*\*